

राज्य की सप्तांग पद्धति

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार तिवारी

प्रवक्ता प्राचीन इतिहास

राजीव गांधी महाविद्यालय, जगदीशपुर— अमेठी उ०प्र०

किसी समाज को सुव्यवस्थित रखने, नियमबद्ध रखने, उसे न्याय, सुरक्षा और कल्याण की भावना के प्रति सजग रखने हेतु एक सुयोग्य शासन व्यवस्था का होना अतिआवश्यक है। वैदिक युग में भी शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा और न्याय ही किसी राज्य के मूल उद्देश्य समझे जाते थे। इस उद्देश्य में जब सफलता प्राप्त होती थी, तब समाज के हर एक व्यक्ति को सर्वांगीण व सम्पूर्ण विकास के लिए भरपूर अवसर मिलता था।

प्राचीन राजशास्त्री राज्य को एक जनहितकारी संस्था के रूप में देखते थे। उनकी धारणा थी कि राज्य के बिना जीवित—संरक्षण और पुरुषार्थ साधन हो ही नहीं सकता। इस पुरुषार्थ साधन और जनहितकारी कार्यों तथा शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने हेतु राज्य के पास आवश्यक तत्व या अंग क्या थे इस पर विचारकों ने अपने—अपने मत प्रकट किए हैं। वैदिक युग के साहित्य में इस विषय का उल्लेख भी नहीं मिलता है, किन्तु जब ई० पू० चौथी सदी में राजनीतिक विचारकों का विकास होने लगा तब से इस विषय की चर्चा मिलती है। कौटिल्य 6/1 और मनु 8/284-7 दोनों का मत है कि राज्य एक सजीव एकात्मक शासन—संस्था है, मनमानी चाल चलने वाले, अपना ही भला देखने वाले, विभिन्न कर्णों का ढीला—ढाला जोड़ नहीं है। इनके अनुसार राज्य के सात अंग हैं जिनको सप्त—प्रकृतियां भी कहते हैं। कामंदक, शुक्र आदि परवर्ती लेखक सप्तांग परिभाषा को स्वयं—सिद्ध मानते हैं और शिलालेखादि में वर्णित राज्य भी सप्त—प्रकृतियों से युक्त पाए जाते हैं।¹

उपर्युक्त प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों ने राज्य के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उसके जिन सात अंगों की कल्पना प्रस्तुत की है उसे सप्तांग राज्य या राज्य की सप्तांग पद्धति के नाम से जाना जाता है। प्रायः सभी राजनीति—शास्त्रज्ञों द्वारा राज्य के जो सात अंग बतलाए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं—

1. स्वामी शासक या सम्राट



2. अमात्य / सचिव
3. जनपद / राष्ट्र राज्य की भूमि एवं प्रजा
4. दुर्ग सुरक्षित नगर या राजधानी
5. कोश शासक के कोश में द्रव्यराशि
6. दण्ड / बल सेना
7. मित्र²

अंगों को प्रकृति भी कहा जाता है। राजनीति के ग्रंथों में 'प्रकृति' शब्द राज्यों के मण्डल के अंगों का भी द्योतक कहा गया है। इस शब्द का सम्बन्ध मंत्रियों से भी है और कहीं-कहीं इसका अर्थ प्रजा भी है।³ कौटिल्य ने राज्य के इन सात अंगों को 'सप्तप्रकृतियों' की संज्ञा दी है। शुक्रनीतिसार में राज्य की कल्पना शरीर के रूप में करते हुए उल्लेख किया गया है कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा सिर के समान है, अमात्य नेत्र हैं, सुहृद या मित्र कान हैं, कोश मुख है, बल सेना मन है, दुर्ग हाथ हैं और राष्ट्र पैर हैं।⁴

1. स्वामी-

स्वामी का अर्थ प्रधान या अधिपति होता है। नृपतंत्र या गणतंत्र दोनों के प्रमुख के लिए यह शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। कतिपय ग्रन्थों में भी स्वामी या शासक की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ऐतरेय ब्राम्हण में आया है कि देवों ने राजा के न रहने पर अपनी दुर्दशा देखी और तभी एकमत से उसका चुनाव किया। इससे प्रकट होता है कि सामरिक आवश्यकताओं ने स्वामित्व या नृपत्व को जन्म दिया। मनु 7/3, शुक्रनीतिसार 1/71 में लिखा है- "जब सभी भयाकुल हो इधर-उधर दौड़ने लगे और विश्व में कोई स्वामी नहीं था। तब विधाता ने इस विश्व की रक्षा के लिए राजा का प्रणयन किया।"⁵ स्मृतियों और पुराणों में राजा को देवस्वरूप माना गया है।⁶ कौटिल्य ने सप्तप्रकृतियों में स्वामी की भूमिका को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार स्वामी राज्य में कूटस्थानीय होता है। जहां तक पुरालखों का सम्बन्ध है 'स्वामी' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शिलालेखों राक अभिलेखों में हुआ है।⁷ प्राचीन ग्रन्थों से स्पष्ट होता है कि स्वामी या राजा दण्ड शक्ति का प्रतीक होता था।



2.अमात्य—

राज्य सप्तांग पद्धति में दूसरा स्थान अमात्य का है। अमात्य भी स्वामी की तरह शासन के केन्द्रीय स्थान में है, इन दोनों में राज्य का प्रभुत्व केन्द्रित रहता था और वे राज्य को एक सूत्र में गूँथते थे।⁸ अर्थशास्त्र में अमात्य को एक स्थायी सेवा संवर्ग का सदस्य माना गया है। इसे मंत्री का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। कामन्दक के नीतिसार से स्पष्ट होता है कि मंत्री एवं अमात्य राजा को राजकीय कार्यों के सम्पादन में सहायता करते थे। मनुस्मृति में भी राज्य संस्था हेतु अमात्यों के महत्व को स्पष्ट किया गया है।⁹

3.जनपद या राष्ट्र—

राष्ट्र शब्द ऋग्वेद 4/42/1 'ममं द्वितां राष्ट्रं क्षत्रियस्य' अर्थात् 'मेरा राष्ट्र दोनों ओर या दोनों गोलकों में है' में भी आया है, साथ ही अन्य वैदिक संहिताओं में भी राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है।¹⁰ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के तीसरे अंग के रूप में जनपद का वर्णन हुआ है। प्रतीत होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित 'राष्ट्र' शब्द भू-भाग का द्योतक है, जनपद शब्द का अर्थ जनजातीय बस्ती से प्रतीत होता है। अर्थशास्त्र में परिभाषित जनपद शब्द में भू-भाग और जनसंख्या दोनों का समावेश है। कामन्दक के अनुसार राष्ट्र से ही राज्य के समस्त अंगों का उद्भव होता है।¹¹

4.दुर्ग—

कौटिल्य द्वारा राज्य के चौथे अंग के रूप में दुर्ग का उल्लेख किया गया है, जबकि मनु ने तीसरे अंग के रूप में दुर्ग के स्थान पर पुर शब्द का उल्लेख किया है। दुर्ग से तात्पर्य किले से है जबकि पुर के पर्याय के रूप में दुर्ग को किलाबन्द राजधानी का बोधक माना जा सकता है।¹² कौटिल्य ने चार प्रकार 1.औदक 2.पार्वत 3.धान्वन और 4.वन के दुर्गों का उल्लेख किया है।¹³ वस्तुतः किसी भी राज्य की राजधानी को दुर्ग से रक्षित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।

5.कोश—

कोश किसी भी राज्य का आवश्यक अंग माना गया है। प्राचीन राजशास्त्रियों ने कोश को राज्य हेतु महत्वपूर्ण मानते हुए इसे राज्य के समस्त अंगों का आधार माना है। कोश की समृद्धि के प्रमुख तीन साधन माने गए हैं— 1.उपज पर राजा का भाग 2.चुंगी द्वारा अर्जित आय 3.दण्ड से प्राप्त धन।¹⁴ कौटिल्य का

कथन है कि राज्य के सारे व्यापार कोश पर ही निर्भर रहते हैं। अतः राजा को सर्वप्रथम कोश पर ध्यान देना चाहिए।¹⁵

6. दण्ड –

किसी भी राज्य की सुरक्षा हेतु सेना उसका प्रमुख अंग है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य ग्रंथों में बल को दण्ड भी कहा गया है। कामन्दक के अनुसार बलशाली सेना के रहने पर राज्य की सीमाएं बढ़ती हैं, उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ शत्रु की सेनाओं का नाश होता है। अधिकांश आचार्यों ने 6 प्रकार की 1.मौल 2.भृत् 3.श्रेणी 4.मित्र 5.अमित्र और 6.अटवी सेना का उल्लेख किया है।¹⁶ हाथियों, अश्वों, रथों एवं पैदल सैनिकों से युक्त सेना को 'चतुरंगिणी' कहा गया है।¹⁷

7. मित्र–

मनु ने मित्र बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए राजा के लिए अच्छे मित्र के गुणों का वर्णन किया है। सच्चे मित्र की विशेषता है 'मित्र द्वारा वांछित उद्देश्यों के प्रति श्रद्धा'।¹⁸ प्राचीन विचारकों ने मित्र अर्थात् परस्पर सम्बन्धों को बहुत अधिक महत्त्व दिया था।¹⁹ प्रजा के कल्याण, अपने साम्राज्य की सुरक्षा एवं राज्य विस्तार हेतु मित्र राज्यों की विशिष्ट उपयोगिता थी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों ने राज्य के सातों अंगों की तुलना मानव शरीर से करते हुए उसे किसी भी सर्वगुणसम्पन्न राज्य के लिए अतिआवश्यक माना है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राज्य के सातों अंगों का एक दूसरे से अन्यान्याश्रित सम्बन्ध था और ये एक-दूसरे के पूरक थे।

संदर्भ–ग्रंथ

1. अलतेकर, अनंत सदाशिव – प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, संस०-तृतीय, संवत् 2021, पृ० 32
2. काणे, पाण्डुरंग वामन– धर्मशास्त्र का इतिहास, संस०-चतुर्थ, 1992, पृ० 585
3. उपर्युक्त
4. कपूर, शैलेन्द्र नाथ– प्राचीन भारतीय राजतंत्र, 1995, पृ० 29
5. काणे, पाण्डुरंग वामन – उपर्युक्त, पृ० 586
6. अलतेकर, अनंत सदाशिव – उपर्युक्त, पृ० 65



7. कपूर, शैलेन्द्र नाथ– उपर्युक्त, पृ0 29
8. अलतेकर, अनंत सदाशिव – उपर्युक्त, पृ0 32
9. कपूर, शैलेन्द्र नाथ– उपर्युक्त, पृ0 31
10. काणे, पाण्डुरंग वामन – उपर्युक्त, पृ0 639
11. कपूर, शैलेन्द्र नाथ– उपर्युक्त, पृ0 31
12. उपर्युक्त, पृ0 32
13. काणे, पाण्डुरंग वामन – उपर्युक्त, पृ0 663
14. कपूर, शैलेन्द्र नाथ– उपर्युक्त, पृ0 33
15. काणे, पाण्डुरंग वामन – उपर्युक्त, पृ0 667
16. उपर्युक्त, पृ0 677
17. कपूर, शैलेन्द्र नाथ– उपर्युक्त, पृ0 33
18. काणे, पाण्डुरंग वामन – उपर्युक्त, पृ0 689
19. अलतेकर, अनंत सदाशिव – उपर्युक्त, पृ0 33

18.07.2019

06.08.2019

: 07.08.2019



This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.